

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ठासीन अधिकारी:-अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0

ता0रजू

निर्णय दिनांक

23/2023

05.12.2023

११/१०/२०२४

1. रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर, निवासी फिरोजपुर, फलौदी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्टस्

बनाम

1. चरतलाल पुत्र रामजीलाल
2. प्रेमदेवी बेवा रामजीलाल
3. भरतलाल पुत्र रामजीलाल
4. ममता पुत्री रामजीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान फलौदी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

5. तहसीलदार लेण्ड होल्डर सवाई माधोपुर

रेस्पोण्डेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं0 1036 दिनांक 15.07.2021 तहसील सवाई माधोपुर

पस्थित:-

1. श्री तपेश जैन एड0 प्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

अपीलान्ट ने जरिये वकील एक अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं0 1036 दिनांक 15.07.2021 तहसील सवाई माधोपुर पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि यह कि अपीलान्ट ग्राम फिरोजपुरा फलौदी तहसील सवाई माधोपुर का मूल निवासी है एवं कास्तकार पेशा व्यक्ति है। ग्राम फलोदी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित भूमि नवीन खाता नम्बर 66 खसरा नम्बर 4004, 4005, किताना 02 कुल रकबा 0.05 हिस्सा 1/90 नवीन खाता नम्बर 325 खसरा नम्बर 3584, 3585, 3586, 3587, 4008, 4009, 4010, 4012 4013 कुल कित: 9 कुल रकबा 1.14 हेक्टेयर हिस्सा 1/20 अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिस पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा कास्त है इस भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या लगायत 4 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति की खातेदारी में कब्जे कास्त की भूमि का नवीन खाता नम्बर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

05 खसरा नम्बर 4738, 4742, 4744, 4824, 4830, 4831 कुल कित्ता 6 कुल कब्जा 1.25 हेक्टेयर हिरसा 1/6 के अनुसार नाम दर्ज थी जिस पर निरन्तर रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का कब्जा काशत रहा है इस भूमि अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट व रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत के पिता व पति एक नाम के दो व्यक्ति ग्राम फलौदी में थे। रेसपोडेन्ट संख्या लगायत 4 के पिता व पति रामजीलाल गुर्जर पुत्र बजरंगा गुर्जर निवासी फलौदी की मृत्यु हो जाने पर त्रुटि वंश खाता संख्या 66 व 325 में भी अपीलान्ट के स्थान पर रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 15.07.2021 को नामान्तकरण सं० 1036 के द्वारा खातेदारी में दर्ज हो या जो गलत है रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का उक्त भूमि से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काशत व खातेदारी भूमि है। रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का खाता नम्बर 66 व 325 पर किसी प्रकार से वैधानिक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट मय दर० दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की किया जाकर नामान्तकरण सं० 1036 दिनांक 15.07.21 निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट नाम खाता सं० 66 व 325 का नामान्तकरण खोलने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट की रये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार आई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट अंकित किया है कि ग्राम फलौदी के नामा० संख्या 1036 दिनांक 15.07.2021 खाता संख्या 66, 305, 325 में रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर की रासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। वाके ग्राम फलौदी जमाबंदी सम्वत् 73-2076 के खाता संख्या 78 व 341 में रामप्रसाद रामजीलाल ओमप्रकाश बजरंगा नाथी पत्नी स्व० बजरंगा वगै० जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम फलौदी की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की खाता संख्या 2 में रामजीलाल शंकर घनजी जुगराज लखन पि० बजरंगा मु० कस्तूरी बेवा बजरंगा हि० ब० जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबंदी में फलौदी में खाता संख्या 78 का नवीन खाता संख्या 66 व खाता संख्या 1 का नवीन खाता संख्या 325 व खाता संख्या 322 का 305 खाता बना है। खाता संख्या 305 में दर्ज रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर का निघन होने नामा० संख्या 1036 पर विरासत दर्ज होनी थी परंतु सहवन से खाता संख्या 66 व 325 में दर्ज रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर के स्थान पर भी रासत हो गयी। अतः खाता संख्या 66 व 325 में दर्ज रामजीलाल पुत्र बजरंगा गुर्जर जीवित है। अतः इन खातों से नामा० संख्या 1036 की प्रविष्टि हटाया जाना उचित होगा।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट की बहस सूनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुये बताया है कि ग्राम फलौदी के नामा० संख्या 1036 दिनांक 15.07.2021 से खाता संख्या 66, 305, 325 में रामजीलाल

बजरंगा जाति गुर्जर की विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। ग्राम लोदी तहसील सवाई माधोपुर में स्थित भूमि नवीन खाता नम्बर 66 खसरा नम्बर 4004, 4005, किता 02 कुल रकबा 0.05 हिस्सा 1/90 नवीन खाता नम्बर 5 खसरा नम्बर 3584, 3585, 3586, 3587, 4008, 4009, 4010, 4012 4013 कित: 9 कुल रकबा 1.14 हेक्टेयर हिस्सा 1/20 अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे की भूमि है जिस पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा कास्त है इस भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या लगायत 4 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं रहा है। अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति की खातेदारी में कब्जे कास्त की भूमि का नवीन खाता नम्बर 305 खसरा नम्बर 4738, 4742, 4744, 4824, 4830, 31 कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 हेक्टेयर हिस्सा 1/6 के अनुसार नाम दर्ज जिस पर निरन्तर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का कब्जा कास्त रहा है इस भूमि से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति एक नाम के दो व्यक्ति ग्राम लोदी में थे। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति रामजीलाल गुर्जर बजरंगा गुर्जर निवासी फलोदी की मृत्यु हो जाने पर त्रुटि वंश खाता संख्या 325 में भी अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 15.07.2021 को नामान्तकरण सं० 1036 के द्वारा खातेदारी में दर्ज हो गया, जो गलत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं० 1036 दिनांक 15.07.21 निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के नाम खाता सं० 66 व 325 का नामान्तकरण खोलने के आदेश न करने की कृपा करें।

वकील अपीलान्ट की बहस सूनी। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम फलोदी के नामा० संख्या 1036 दिनांक 15.07.2021 का अवलोकन किया। उक्त नामान्तकरण रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर की विरासत का है। जिसमें राजस्व ग्राम फलोदी के खाता संख्या 66, 305, 325 में रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर के वारिसानो के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फलोदी के नामा० संख्या 66 दिनांक 15.07.2021 से खाता संख्या 66, 305, 325 में रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर की विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। वाके ग्राम फलोदी जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 78 व 341 में रामप्रसाद जीलाल ओमप्रकाश पि० बजरंगा नाथी पत्नी स्व० बजरंगा वगै० जाति गुर्जर नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वाके ग्राम फलोदी की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की खाता संख्या 322 में रामजीलाल शंकर धनजी जुगराज लखन पि० बजरंगा मु० कस्तूरी बेवा बजरंगा हि०ब० जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबंदी ग्राम फलोदी में खाता संख्या 78 का नवीन खाता नम्बर 66 व खाता संख्या 341 का नवीन खाता संख्या 325 व खाता संख्या 322 305 खाता बना है। खाता संख्या 305 में दर्ज रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर का निधन होने पर नामा० संख्या 1036 पर विरासत दर्ज होनी थी परंतु

उप जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

इससे शांति संख्या 66 व 325 में दर्ज रामजीलाल पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर
स्थान पर भी विरासत हो गयी। अतः शांति संख्या 66 व 325 में दर्ज
पुत्रीलाल पुत्र बजरंगा गुर्जर जीवित है। अतः इन शांतों से नामांका संख्या 1036
प्रविष्टि हटाया जाना उचित होगा। तहसीलदार सवाई माधोपुर एवं उपलब्ध
कार्ड का अवलोकन करने पर उक्त प्रकरण को स्वीकार किया जाना उचित है।

— कियात्मक आदेश —

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर अपील की अपील स्वीकार की
गयी। ग्राम फलोदी के नामांका संख्या 1036 दिनांक 15.07.2021 को खारिज
किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित
किया जाता है कि राजस्व ग्राम फलोदी के शांति संख्या 66, 305, 325 में पुनः
प्रकरण कर नामान्तरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की
प्रति हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावे।
यह आज दिनांक 29/10/2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले
दफ्तर में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की
प्रति दफ्तर दाखिला हो।

(अनूप सिंह)

उप-जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर